



“जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं”

—:प्रेस नोट:—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु दैनिक मजदूरी मस्टररोल आधार पर जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्डों हेतु 01 उपकार्यक्रम अधिकारी एवं 02 कनिष्ठ अभियन्ता के पद हेतु विज्ञप्ति संख्या 557/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस./2020-21 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 से अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, शासन के निर्देशों के अनुक्रम में उक्त विज्ञप्ति निरस्त की जाती है।

(विमल कुमार)
जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांक 557/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस./2020-21/दिनांक 10, दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ की उक्त निरस्तीकरण सूचना को केवल दैनिक जागरण एवं दैनिक अमर उजाला के अगले संस्करण में न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित करवाते हुये बिल सत्यापन उपरान्त इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) उत्तरकाशी को इस आशय से की उक्त निरस्तीकरण सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3- नोटिस बोर्ड विकास भवन, उत्तरकाशी।
- 4- नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
- 5- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- समस्त उप जिला अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 8- आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 9- सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

31/12/20
जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

“ दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी ”